संख्या:16/2020/803/छिहत्तर-1-2020-9आज/2002, टीसी0-1

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 09 अप्रैल, 2020

विषय- राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के सुदृढ़ीकरण एवं बुन्देलखण्ड/ विंध्य क्षेत्र के 09 जनपदों में जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई के गठन हेतु पदों का सृजन किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या-1469/डब्लू-314 (एच0आर0) /2019 दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन एवं बुन्देलखण्ड/ विंध्य क्षेत्र के 09 जनपदों में राज्य सरकार द्वारा संचालित पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई का गठन किये जाने हेतु नवीन पदों के सृजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 2373/38-5-2003, दिनांक 21 अगस्त, 2003 द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में विभिन्न प्रकृति के कुल 35 अस्थाई पदों का सृजन किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित 'जल जीवन मिशन' सहित राज्य सेक्टर की पेयजल से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का सुदृढ़ीकरण करने तथा विन्ध्य/बुन्देलखण्ड तथा गुणता प्रभावित ग्रामों की पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों तथा विन्ध्य क्षेत्र के 02 जनपदों अर्थात कुल 09 जनपदों (मीरजापुर, सोनभद्र, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा एवं चित्रकूट) में जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई के गठन हेतु निम्नलिखित अस्थाई पदों के सृजन की, शर्तों / विवरण के अधीन, राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(अ) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (राज्य स्तर) के सुदृढ़ीकरण हेतु पद

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती का स्रोत	पात्रता
1	2	3	4	5	6
(क) तकनीकी यूनिट					
1	मुख्य अभियन्ता	01	ग्रेड पे 8900 (लेवल- 13 क)	प्रतिनियुक्ति	[illegible]
2	[illegible]	02	ग्रेड पे 8700	प्रतिनियुक्ति	[illegible]

					[illegible] उत्तीर्ण होना चाहिए। कम्प्यूटर का एक वर्ष का डिप्लोमा अथवा डी०ओ०ई०सी०सी० 'ओ' लेवल / कम्प्यूटर में कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव। टंकण गति 25 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में। 40 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में।
(ग) अनुश्रवण एवं मूल्यांकन यूनिट					
1	प्रबन्धन सूचना प्रणाली सलाहकार	01	ग्रेड पे 5400 (लेवल 10) / मानदेय 6[illegible]000.00	प्रतिनियुक्ति / अनुबन्ध	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में समान वेतन में कार्यरत अधिकारी, जिनको सम्बन्धित क्षेत्र में 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। अनुबन्ध की स्थिति में- शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव- एम०सी०ए०/ आई०टी० डिग्री एवं सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव। फ्रेमवर्क/ सिस्टम पर एम०आई०एस० स्थापित करने का अनुभव / बड़ी परियोजनाओं का कार्यक्रमों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का अनुभव, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों में क्रियात्मक अनुभव को वरीयता।

(घ) विन्ध्य / बुन्देलखण्ड के 09 जनपदों (मीरजापुर, सोनभद्र,ललितपुर,झांसी, जालौन,हमीरपुर, बांदा, महोबा एवं चित्रकूट)में जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई हेतु पद

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	भर्ती का स्रोत	पात्रता
1	2	3	4	5	6
1	अधिशासी अभियन्ता	09 (प्रत्येक जनपद में एक)	ग्रेड पे- 6600 (लेवल- 11)	प्रतिनियुक्ति	समान वेतन में कार्यरत अभियन्ता, जिनको पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन/ अनुश्रवण / मूल्यांकन का 07 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो
2	सहायक अभियन्ता	09 (प्रत्येक जनपद में एक)	ग्रेड पे- 5400 (लेवल- 10)	प्रतिनियुक्ति	समान वेतन में कार्यरत अभियन्ता, जिनको पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन/ अनुश्रवण / मूल्यांकन का 05 वर्ष के अनुभव की वरीयता।
3	अवर अभियन्ता	27 (प्रत्येक	ग्रेड पे- [illegible]	प्रतिनियुक्ति	समान वेतन में कार्यरत

(3) मिशन निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अपर निदेशक/अधिशासी निदेशक के पद पर कार्यरत/तैनात अधिकारी को वही वेतन एवं भत्ते अनुमन्य होंगे, जिस वेतनमान का अधिकारी तैनात होगा।

(4) संबंधित पदों पर चयन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अधीन किया जाएगा।

(5) संबंधित पदों पर वेतन एवं अन्य भत्ते वही देय होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमन्य होंगे।

(6) पदों का सृजन योजना के पूर्णता की अवधि तक के लिए ही होगा।

(7) पदों का सृजन पूर्णतया अस्थायी है, इन पदों की निरंतरता वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों/लागू व्यवस्था के अनुरूप जारी की जाएगी।

(8) संबंधित पदों पर तैनात होने वाले अधिकारी/कर्मचारी अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) आउट सोर्सिंग एवं अनुबन्ध पर लिये जाने वाले कार्मिकों के निर्धारित मानदेय में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि अनुमन्य होगी।

(10) संबंधित पदों पर आने वाले व्ययभार का वहन 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत यथासंभव भारत सरकार से प्राप्त कर किया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2 333 /दस-2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-16/2020/803(1)/छिहत्तर-1-2020-ग्राम/2002 टी०सी०-4, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी- सोनभद्र, मीरजापुर, ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर एवं जालौन।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा० अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner